108

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

संदीप मौदगिल से पहले, जे.

मनुरिता-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता 2019 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5470

05 दिसंबर, 2023

माना जाता है कि "समान अवसर" का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) में सन्निहित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त सिद्धांत जगह प्रदान करता है जिसके भीतर समान रूप से रखे गए प्रतियोगियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाती है ताकि व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा की जा सके। "कानून के शासन" के प्रति प्रतिबद्धता संसदीय लोकतंत्र का दिल है। "कानून के शासन" के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक कानूनी निश्चितता है। अनुच्छेद 14 सरकारी नीतियों पर लागू होता है और यदि सरकार की नीति या कार्य, यहां तक कि संविदात्मक मामलों में भी, "तर्कसंगतता" की कसौटी को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऐसा कार्य या निर्णय असंवैधानिक होगा। (पैरा 28) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि भर्ती की पात्रता शर्तों को यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित किया गया है, तो केवल वह विधि-मनुरुता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

109

(संदीप मौदगिल, जे.)

(पैरा 29) ने आगे कहा कि परिणामस्वरूप, हमारी राय में, यू. जी. सी. विनियम, 2010 में पहले से ही निर्धारित पात्रता शर्तों को देखते हुए, प्रतिवादी के लिए किसी भी अतिरिक्त पात्रता मानदंड को निर्धारित करने के लिए खुला नहीं था जो ऊपर उल्लिखित विनियमन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों की तुलना में बहुत अधिक है। (पैरा 31) ने आगे कहा कि इसके परिणामस्वरूप, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और विज्ञापन No.1/2019 दिनांकित 30.01.2019 (अनुलग्नक P1) के साथ-साथ इसके तहत किए गए चयन को रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करके विचाराधीन पदों के खिलाफ भर्ती करने की स्वतंत्रता होगी जिसका यू. जी. सी. विनियम, 2019 के अनुसार दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन किया जाना चाहिए।

(पैरा 32)

याचिकाकर्ता की ओर से मोनिका ठाकुर, अधिवक्ता। गौरव जिंदल, एडिशनल। ए. जी. हरियाणा। डी. एस. रावत, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 2 और 3.

(1) याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन No.1/2019 दिनांक 30.01.2019 (अनुलग्नक P1) को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र के रूप में एक रिट जारी करने के लिए अनुरोध के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का आह्वान करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के साथ सहायक प्रोफेसरों के 23 पदों के चयन और नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन उक्त विज्ञापन में उक्त विज्ञापन में पूछी गई शैक्षिक योग्यता यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार नहीं पूछी जाती है। इसके अलावा यू. जी. सी. के दिशा-निर्देशों/विनियमों के अनुसार उक्त रिक्तियों का पुनः विज्ञापन करने का निर्देश दिया गया है। (2) विभिन्न धाराओं में रिक्तियों यानी प्रोफेसर के 2 पदों, एसोसिएट प्रोफेसर के 11 पदों और 110 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

5162/2013 , 11.07.2014 पर निर्णय लिया। (6) प्रस्ताव की सूचना 28.02.2019 पर जारी की गई थी और इसके अनुसार, उत्तरदाताओं ने 12.03.2020 पर डॉ. हरीश कुमार गुलाटी कुलसचिव, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा जवाब दाखिल किया है। (7) याचिकाकर्ता के तर्क का यह कहते हुए भी प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया है कि शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए यू. जी. सी. द्वारा अधिसूचित विनियमों का नाम/नामकरण-मनुरुता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

111

(संदीप मौदगिल, जे.)

थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला और अन्य 1, यह तर्क देना कि विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई किसी भी अतिरिक्त योग्यता या शर्त को यू. जी. सी. विनियम, 2010 के रूप में यू. जी. सी. विनियम, 2010 के प्रावधानों का अतिक्रमण और उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, केवल 1 2019 (2) एस. सी. टी. 531 112

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

न्यूनतम पात्रता शर्तों को निर्धारित करें और यू. जी. सी. केवल न्यूनतम पात्रता शर्त और योग्यता निर्धारित करता है और विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों से अधिक शर्तों को हमेशा एक नियोक्ता द्वारा लगाया जा सकता है।

(12) इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र पर निर्भरता रखी।

(15) उपरोक्त मुद्दे के निर्धारण के लिए, विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'यू. जी. सी. अधिनियम, 1956' के रूप में संदर्भित), यू. जी. सी. विनियम, 2010, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 और इसके तहत बनाए गए कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है। (16) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 को विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। 2 2019 (3) एससीटी 18 (एससी)

मनूरीता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

113

(संदीप मौदगिल, जे.)

(17) धारा 12 'आयोग के कार्य' से संबंधित है, जिसके प्रासंगिक होने का उल्लेख नीचे किया गया हैः

((ii) XXXX (जे) भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित या आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्यों का पालन करें या जो उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक या अनुकूल हो सकते हैं।

(18) अधिनियम की धारा 14 'आयोग की सिफारिशों का पालन करने में विश्वविद्यालयों की विफलता के परिणामों' से संबंधित है जो इस प्रकार हैः -

14. यदि कोई विश्वविद्यालय [धारा 12क की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट किसी महाविद्यालय को उस उप-धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी अध्ययन पाठ्यक्रम के संबंध में संबद्धता प्रदान करता है या] धारा 12 या धारा 13 के तहत आयोग द्वारा की गई किसी भी सिफारिश का पालन करने में उचित समय के भीतर विफल रहता है, [या धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (च) या खंड (छ) के तहत बनाए गए किसी नियम के प्रावधान का, या धारा 26 के खंड (छ) या खंड (छ) या खंड (छ) के तहत बनाए गए किसी विनियमन का उल्लंघन करता है] तो आयोग, कारण पर विचार करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा दिखाई गई ऐसी विफलता या उल्लंघन के लिए आयोग की निधि से प्रस्तावित अनुदान को विश्वविद्यालय से रोक दिया जा सकता है।

(19) उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय 114

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के विनियम और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय, 2010 यू. जी. सी. विनियम, 2000। यह 28 जून, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था। इसका खंड 3 निर्धारित करता है कि किसी भी स्तर पर शिक्षकों और अन्य समकक्ष संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए मास्टर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक (या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां एक अंक पैमाने में समकक्ष ग्रेड) की आवश्यकता होगी। ” हालाँकि, विचाराधीन पद के संबंध में, यू. जी. सी. दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री थी, इसके अलावा उम्मीदवार को यू. जी. सी. आदि द्वारा आयोजित एन. ई. टी. उत्तीर्ण होना चाहिए था। जबकि, प्रत्यर्थी No.2-University विज्ञापन दिनांक 30.01.2019 MANURITA बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के माध्यम से

115

(संदीप मौदगिल, जे.)

(अनुलग्नक पी1) सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए गए हैंः -

i) मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ डेयरी/कृषि/पशु चिकित्सा/पशु विज्ञान/रसायन विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन/खाद्य विज्ञान/खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक या एक बिंदु पैमाने में समकक्ष ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है। ii) डेयरी रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ डेयरी रसायन विज्ञान/अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ डेयरी रसायन विज्ञान/खाद्य विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ डेयरी रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ डेयरी रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ डेयरी रसायन विज्ञान/खाद्य विज्ञान और प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ डेयरी रसायन विज्ञान/खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ डेयरी रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों के साथ या एक बिंदु पैमाने में समकक्ष ग्रेड के साथ।

(24) अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम सरकार के सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग और अन्य 3 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यू. जी. सी. अधिनियम संसद द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था, जबकि मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम संसद द्वारा सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में 3 2009 (4) एस. सी. सी. 590 116 के बीच प्रतिकूलता का प्रश्न है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

उक्त दो अधिनियमों के प्रावधान उत्पन्न नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

"40. यू. जी. सी. अधिनियम को संसद द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था, जबकि मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम को संसद द्वारा सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था। अतः उक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल होने का सवाल ही नहीं उठता है। यह सच है कि मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण दर्शाता है कि शिक्षा की औपचारिक प्रणाली शैक्षिक अवसरों को बराबर करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। अन्य बातों के साथ-साथ कक्षाओं में उपस्थिति के संबंध में प्रणाली कठोर है। विषयों के संयोजन भी लचीले नहीं हैं। 42. यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं, चाहे वे पारंपरिक हों या खुले। इसकी शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ई), (एफ), (जी) और (एच) के संदर्भ में इसके द्वारा बनाए गए विनियम व्यापक आयाम के हैं। वे विश्वविद्यालयों को खोलने के साथ-साथ औपचारिक पारंपरिक विश्वविद्यालयों के लिए भी समान रूप से लागू होते हैं। उच्च शिक्षा के मामले में, निर्देशों के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। निर्देशों के ऐसे न्यूनतम मानकों को यू. जी. सी. द्वारा परिभाषित किया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में कार्य या सुविधाओं के मानकों और समन्वय को बनाए रखा जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए विनियमित किया जाना आवश्यक है। धारा 26 (1) (एफ) और 26 (1) (जी) के तहत यू. जी. सी. की शक्तियां प्रकृति में बहुत व्यापक हैं। अधीनस्थ विधान जैसा कि सर्वविदित है जब वैध रूप से बनाया जाता है तो अधिनियम का हिस्सा बन जाता है। हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि यू. जी. सी. के कार्य धारा 12-ए की उप-धारा (1) के खंड (डी) और इसकी उप-धारा (2) के खंड (ए) और (सी) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सर्वव्यापी हैं।

(25) उपरोक्त निर्णय यह स्पष्ट करता है कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत केंद्रीय विधान द्वारा बनाए गए अधीनस्थ विधान सहित केंद्रीय विधान के साथ राज्य विधान जिस हद तक टकराव में है, वह केंद्रीय विधान के प्रतिकूल होगा और निष्क्रिय होगा। (26) एक और कारण है कि प्रतिवादी No.2-University के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है अर्थात MANURITA बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

117

(संदीप मौदगिल, जे.)

(29) यह तय किया गया कानून है कि यदि भर्ती की पात्रता शर्तों को यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित किया गया है, तो केवल उसी पद्धति का पालन करना होगा और यू. जी. सी. से संबद्ध विश्वविद्यालय के लिए कोई अन्य शर्त निर्धारित करने के लिए खुला नहीं है, भले ही वे उचित और उद्देश्यपूर्ण हों। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर न्यूनतम योग्यता अंकों को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करके योग्यता मानदंडों को बदलने का निर्णय मनमाना और अनुचित है। (30) बी. रामाकिचेनिन बनाम भारत संघ 4 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः -

“17. हालांकि, वैध शॉर्टलिस्टिंग के लिए दो आवश्यकताएं होनी चाहिए -

((i) यह कुछ तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना है जिसके लिए 4 2008 (1) एससीसी 362 118

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता एक बी. एस. सी. डिग्री है, और यदि बड़ी संख्या में योग्य आवेदक हैं, तो चयन निकाय बी. एस. सी. में कुछ न्यूनतम अंक निर्धारित करके चयन सूची का सहारा ले सकता है और केवल उन्हीं लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है जिन्होंने ऐसे अंक प्राप्त किए हैं। यह तब भी किया जा सकता है जब नियम या विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं है कि केवल जिनके पास उपरोक्त न्यूनतम अंक हैं, उन्हें ही पद पर माना या नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया केवल मीडिया के माध्यम से एक व्यावहारिक प्रक्रिया है जिसका अदालतों द्वारा विभिन्न निर्णयों में पालन किया गया है क्योंकि अन्यथा अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के लिए बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं क्योंकि वे सैकड़ों और हजारों योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ((ii) यदि नियम या विज्ञापन में शॉर्टलिस्ट करने की एक निर्धारित विधि का उल्लेख किया गया है तो केवल उसी विधि का पालन करना होगा।

(31) नतीजतन, हमारी राय में, यू. जी. सी. विनियम, 2010 में पहले से ही निर्धारित पात्रता शर्तों को देखते हुए, प्रतिवादी के लिए किसी भी अतिरिक्त पात्रता मानदंड को निर्धारित करना खुला नहीं था जो उपरोक्त विनियमन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों की तुलना में बहुत अधिक है। (32) नतीजतन, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और विज्ञापन No.1/2019 दिनांकित 30.01.2019 (अनुलग्नक P1) के साथ-साथ इसके तहत किए गए चयन को रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करके विचाराधीन पदों के खिलाफ भर्ती करने की स्वतंत्रता होगी जिसका यू. जी. सी. विनियम, 2019 के अनुसार दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन किया जाना चाहिए। रिपोर्टर-सुब्रत कौर